न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 839/2022

अनवान : –

1. कालुराम पुत्र इन्द्राज जाति नाईं निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

वादी

बनाम्

1. कालुराम पुत्र लालचन्द जाति नाईं निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
2. विकास पुत्र लालचन्द जाति नाईं निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 27/01/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 19/19 के खसरा न0 112/5, 158/2, 579/2, 582, 583, 584 639, 640 की कुल 19.5400 हैक्ट भूमि वादी के दादा मृतक अर्जन पुत्र रामुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी के दादा अर्जन पुत्र रामुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी सेवा व देखभाल व सेवा चाकरी वादी व प्रतिवादी स 1 ता 2 करते थे जिससे खुश होकर अर्जन पुत्र रामुराम ने अपने जीवन काल में दिनांक 05.07.2019 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 19/19 के खसरा न0 112/5, 158/2, 579/2, 582, 583, 584 639, 640 की कुल 19.5400 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा की वसीयत वादी के पक्ष में तथा 1/2 हिस्सा की वसीयत प्रतिवादी स0 1 ता 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर करवाई थी। अर्जन पुत्र रामुराम ने अपने होश हवास के साथ गवाहन रामचन्द्र पुत्र मनीराम जाति नांई निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर व राजेन्द्र पुत्र भागाराम जाति नाई निवासी ननाऊ तहसील नोहर की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर अंगुठा किया था तथा वसीयत पर गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है व नोटेरी पब्लिक नरेन्द्र किशोर जोशी, नोहर से तस्दीकशुदा है। उपरोक्त वसीयत भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद व स्थगन आदि नही है तथा अर्जन पुत्र रामुराम के देहान्त के बाद वसीयत भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 मुताबिक वसीयत काबिज [illegible] है। वादी न्यायालय से मुताबिक

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:30:07 IST
Reason: SelfAttested

वसीयत अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 3 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी सबूत नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 रोही मौजा ननाऊ खाता स0 19/19, ईएक्सपी–1, मूल वसीयत अर्जन पुत्र रामुराम दिनांक 06.07.2019 ईएक्सपी–2, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र अर्जन ईएक्सपी–3, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रामचन्द्र पुत्र मनफुल ईएक्सपी–4, गवाह बयान रामचन्द्र पुत्र मनीराम जाति नाई निवासी बाच्छुसर व राजेन्द्र पुत्र भागाराम जाति नाई निवासी ननाऊ आदि पेश किये।

साक्ष्य वादी में वादी कालुराम के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि में से मेरे दादा अर्जन ने 1/2 हिस्सा की वसीयत मेरे पक्ष में तथा 1/2 हिस्सा की वसीयत प्रतिवादी स0 1 ता 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर करवाई थी। हम वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 वसीयत के अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। इस हेतु प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट कर वाद की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश किया है। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 19/19 के खसरा न0 112/5, 158/2, 579/2, 582, 583, 584 639, 640 की कुल 19.5400 हैक्ट भूमि वादी के दादा मृतक अर्जन पुत्र रामुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि की पत्रावली में संलग्न वसीयत से साबित होता है कि वादी के दादा अर्जन पुत्र रामुराम ने अपने दिनांक 05.07.2019 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 19/19 के खसरा न0 112/5, 158/2, 579/2, 582, 583, 584 639, 640 की कुल 19.5400 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा की वसीयत वादी के पक्ष में तथा 1/2 हिस्सा की वसीयत प्रतिवादी स0 1 ता 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर करवाई थी जो की नोटेरी पब्लिक नरेन्द्र किशोर जोशी, नोहर से तस्दीकशुदा है। अर्जन द्वारा यह वसीयत गवाहन रामचन्द्र पुत्र मनीराम जाति नाई निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर व राजेन्द्र पुत्र भागाराम जाति नाई निवासी ननाऊ तहसील नोहर की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर अंगुठा किया था तथा वसीयत पर गवाहों के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:30:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अंकित है। उक्त वसीयत के संबंध में गवाहन रामचन्द्र पुत्र मनीराम जाति नाई निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर व राजेन्द्र पुत्र भागाराम जाति नाई निवासी ननाऊ के बयान लिये गये बयान में दोनो गवाहों द्वारा अर्जन पुत्र रामुराम के द्वारा वाद भूमि की वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 के पक्ष में की गई वसीयत को सही होना बताया है तथा वसीयत में बतौर गवाह हस्ताक्षर किये जाना भी स्वीकार किया है। वादी के द्वारा अर्जन के अन्य वारिसान की सहमति का शपथ पत्र पेश किया गया की अर्जन द्वारा वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 के पक्ष में की गई वसीयत निर्विवाद है तथा मुताबिक वसीयत वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 ही काश्त करते आ रहे है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक वसीयत अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 19/19 के खसरा न0 112/5, 158/2, 579/2, 582, 583, 584 639, 640 की कुल 19.5400 हैक्ट भूमि अर्जन पुत्र रामुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में मृतक अर्जन पुत्र रामुराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि वादी कालुराम पुत्र इन्द्राज व शेष 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 कालुराम पुत्र लालचन्द व प्रतिवादी स0 2 विकास पुत्र लालचन्द को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हों तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान् अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/01/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:30:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 839/2022

अनवान : –

1. कालुराम पुत्र इन्द्राज जाति नाईं निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

वादी

बनाम्

1. कालुराम पुत्र लालचन्द जाति नाईं निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
2. विकास पुत्र लालचन्द जाति नाईं निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं वकील प्रतिवादी श्री मनीराम सरावग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 19/19 के खसरा न0 112/5, 158/2, 579/2, 582, 583, 584 639, 640 की कुल 19.5400 हैक्ट भूमि अर्जन पुत्र रामुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में मृतक अर्जन पुत्र रामुराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि वादी कालुराम पुत्र इन्द्राज व शेष 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 कालुराम पुत्र लालचन्द व प्रतिवादी स0 2 विकास पुत्र लालचन्द को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/01/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:30:07 IST
Reason: SelfAttested